ग्राम पंचायत डुमेहर, विकास खंड कुनिहार, जिला सोलन के लेखों का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–1

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने एवं संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्यां PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07/04/2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र० को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत डुमेहर, विकास खंड कुनिहार जिला सोलन का अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:–

प्रधान :–

क्रम संख्यां	प्रधान	अवधि
1.	श्री रणजीत पाल	01/04/2014 से 22/01/2016
2.	श्रीमती नीशा	23/01/2016 से आगे

सचिव :–

क्रम संख्यां	पंचायत सचिव	अवधि
1.	श्री पवन शर्मा	01/04/2014 से 20/05/2014
2.	श्री चंदर मनी ठाकुर	20/05/2014 से 31/03/2017

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार:–

ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	8 (i)	अनुदान की राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	42.59
2	9 (i)	पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.13
3.	12	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ही स्टॉक / स्टोर का क्रय / भुगतान करना	6.14
4	17 (ii)	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियां न करना	5.37

भाग –2

2 ग्राम पंचायत डुमेहर अवधि 01-04-2014 से 31.3.2017 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शायें गए है, श्री पुनीश सागर अनुभाग अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय, डुमेहर में किया गया। लेखा परीक्षण के दौरान आय की विस्तृत जांच हेतु माह 03/15, 11/15 व 09/16 तथा व्यय हेतु माह 08/14, 09/15 व 03/17 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शायें गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा | अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित रहेगा।

3 **लेखा परीक्षा शुल्क :-**

ग्राम पंचायत डुमेहर के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक का अंकेक्षण ₹6000 बनता है। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) के अंकेक्षण ज्ञापन संख्यां 50 दिनांक 07/06/2017 द्वारा यह राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को भेजने हेतु अनुरोध कर दिया गया था ।

4 **वित्तीय स्थिति :-**

(क) स्वस्त्रोतों एवं अनुदान:-

(i) ग्राम पंचायत डुमेहर के स्व-स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2014-15	1619141.29	2228928	3848069.29	1690571	2157498.29
2015-16	2157498.29	1861496	4018994.29	1661960	2357034.29
2016-17	2357034.29	4648730	7005764.29	3147168	3858596.29

परिशिष्ट "क

(ख) मनरेगा:-

ग्राम पंचायत डुमेहर के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017 की वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "क"** पर है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2014-15	40654	134818	175472	174848	624
2015-16	624	841524	842148	841524	624
2016-17	624	730022	730646	729980	666

परिशिष्ट "क

5 रोकड वही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैक समाधान विवरणी तैयार न करना:-

(i) ग्राम पंचायत की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड वही व बैंक खातों का मिलान नही किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7(3) तथा 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड वही का बैंक खातों से मिलान करके बैंक समाधान विवरणी तैयार करनी अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी का तैयार न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए। ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार दिनाँक 31/03/2017 को रोकड़ बही (वित्तीय स्थिति) तथा बैंक खातों के अन्त शेष में निम्नविवरणानुसार ₹55860.75 का अन्तर दर्शाया गया था जिसका समाधान शीघ्र करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए ।

क्रम संख्यां	शीर्ष	रोकड़ बही / वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31/03/17 को शेष	दिनांक 31/03/17 को विभिन्न बैंकों तथा हस्तगत शेष	अंतर
1.	स्वस्त्रोत तथा अनुदान	3858596.29	3914457.04	55860.75
3.	मनरेगा	666.00	666.00	शून्य

बैंकों में उपलब्ध धन राशि का विवरण निम्नानुसार है।

Detail of opening balance as on 01.04.14 (As per Trial Balance of 2013-14)

Head	**Name of Bank**	**A/C No.**	**Balance**
General	Post Office Demehr	---	368.75
	JCC Bank Arki	बन्धक खाता	12500.00
	-do-	-do-	12252.15
	SBOP Domehr	55127098233	573702.74
	JCC Bank kunihaar	266	701205.73
	SBOP Demehr	6501439965/665	40072.00
	SBOP Demehr	55127098573	87164.64
	SBOP Demehr	55127098584	170513.28
	Uncleaned Cheque		20800.00
	Cash in hand		562.00
		Total	**1619141.29**

Manrega		3010	40654 (as per Cash book)

Detail of Closing balance as on 31.3.2017

Head	Bank Name	A/C No.	Balance
General	JCC Bank Arki	00010	1745984.00
	JCC Bank Kunihaar	266/3679	838162.73
	HDFC Bank Kunihaar	50100163827054	698981.00
	SBOP Dumehr	573	87164.64
	-do-	584	170513.28
	JCC Bank Arki	Pledged Account	12500.00
	-do-	-do-	12252.15
	Post Office Dumhr	-	368.75
	SBOP Dumehr	233	347716.74
	Cash in Hand	-	813.75
		Total	**3914457.04**
Manrega		3010	666

नोटः– दिनांक 31.3.17 को पंचायत सचिव द्वारा विभिन्न खातों के अन्तिम शेष प्रमाणित किये गये है।

6 बैंक तथा डाक घर खातों में दिनांक 31/03/17 को जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे :-

कई बार आग्रह करने के पश्चात भी निम्नलिखित बैंको/डाक घर के दिनांक 31/03/17 को उनमें जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र बैंकों में प्राप्त करके अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए । इस कारण इन खातों में दिनांक 31/03/17 को दर्शाए गए शेषों के सही होने सम्बन्धी पुष्टि नहीं की जा सकी । अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 अपेक्षित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

बैंक का नाम	खाता संख्या	31.3.2017 को जमा राशि
HDFC Kunihaar	50100163827054	698981.00
SBOP Dumehr	573	87164.64
-do-	584	170513.28
JCC Bank Arki	Pledged Account	12500.00
-do-	-do-	12252.15
Post office Dumehr	-do-	368.75

7 रोकड़ बही के रख रखाव से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे :-

(i) रोकड़ बहियों के रख रखाव बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था। कई माहों के अंत में नियमानुसार प्रधान द्वारा नियमित रूप से प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे । रोकड़ बही में कई प्रविष्टियों का सत्यापन

नहीं किया गया था ,कटिंग्स की गई थी तथा कई वाउचर्स पर प्रस्ताव संख्यां नहीं लिखी गई थी । रोकड़ बही में रसीदों की प्रविष्टि क्रमवार नहीं की जा रही थी । अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में हि० प्र० पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 7(1,2 व 3) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से किया जाए ।

(ii) निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना :-

पंचायत की सामान्य रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हस्तगत रूप मे निम्न विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हि.प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक हैं। प्रत्येक प्राप्त राशि को बैंक में जमा करवाया जाना चाहिए तथा भुगतान भी चैक अथवा RTGS के माध्यम से किया जाना चाहिए केवल Imprest की राशि को ही हस्तगत रखा जा सकता है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक	**राशि**
19.7.16 से 26.8.16	8494, 5250, 3350, 3223, 3227
16.12.16 से 25.12.16	3848
17.2.17 से 21.2.17	16050
13.2.17 से 22.2.17	10050
9.3.17 से 27.3.17	5030, 3065, 2545, 3268.75, 1268.75

8 अनुदान:-

(i) निर्धारित अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित राशियों का उपयोग न करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ख")** के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31/03/17 को विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹4258925 शेष दर्शाई गई थी । जिससे यह प्रतीत होता है कि अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नही किया गया था जिसके फलस्वरूप धन का अवरोधं होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31/03/2017 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उन से सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

(ii) अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करनाः–

खण्ड विकास कार्यालय द्वारा समय–2 पर ग्राम पंचायत को विभिन्न्न शीर्षों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु अनुदान जारी किये जाते है। निश्चित रूप से अनुदान की यह राशियाँ जारी करते समय खण्ड विकास कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश

जारी किये जाते होंगे जिनमें जारी की गई राशियों उनके शीर्षों/निर्माण कार्यों आदि का स्पष्ट विवरण दर्ज होता होगा। परन्तु यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में खण्ड विकास कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय आदेशों/पत्रों का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान मांगने के उपरान्त भी यह पत्र/दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके कारण विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु जारी की गई राशियों, उनके शीर्ष तथा निर्माण कार्य जिनके कार्यान्वन हेतु वे जारी की गई थी के सही होने की पुष्टि किया जाना सम्भव हो सका। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख अनुदान रजिस्टर आदि जिसमें विभिन्न अनुदानों के शेषों तथा प्राप्तियों/भुगतानों का शीर्षवार विवरण दर्ज हो अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत भी नहीं किया गया जिस कारण विभिन्न अनुदानों के दिनांक 31.3.2017 को शेष बारे स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अभिलेख का रख रखाव तथा नियमित रूप से Update किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व की वसूली सम्बन्धी अनियमितताएं :-

(i) पंचायत राजस्व (गृह कर) की ₹0.13 लाख की वसूली न करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नानुसार ₹13190 गृह कर की कम वसूली की थी । अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

वित्त वर्ष	परिवारों की सं0	गृहकर का निर्धारित रेट (वार्षिक)	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान बकाया	कुल योग	वर्ष के दौरान प्राप्ति	बकाया गृहकर
2014–15	560	10	-----	5600	5600	1665	3935
2015-16	575	10	3935	5750	9685	245	9440
2016-17	600	50	9440	30000	39440	26250	13190

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा न तो दिनांक 1.4.2014 को बकाया गृह कर की राशि से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाई गई तथा न ही हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार फार्म 10 पर Updated मांग एवं प्राप्ति अभिलेख प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त गृहकर के निर्धारण से सम्बन्धित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करवाए गए। जिस कारण दिनांक 1.4.14 को गृहकर की वसूली हेतु बकाया राशि तथा वसूली रेट के सही होने बारे पुष्टि नहीं की

जा सकी। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त वांछित अभिलेख Update करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जायें।

(iii) भू राजस्व की वसूली न करना :-

ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अवधि के दौरान भू राजस्व की सम्बन्धित विभाग से प्राप्ति नहीं हुई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भू राजस्व की वसूली सम्बन्धित विभाग से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 **निर्माण कार्यों से सम्बन्धित आंकलन, प्रशासनिक एवं तकीनीकी स्वीकृतियां तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ न दर्शाए जाने बारे :-**

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने पर भी हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 94 तथा 101 में दिए गये निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्राकलन (estimate), आकलन (assessment), उनकी प्रशासनिक, तकीनीकी स्वीकृतियां एवं सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं (measurement books) में प्रविष्टियाँ नहीं दर्शाई गई | साथ ही माप पुस्तिका रजिस्टर का भी रख रखाव नहीं किया जा रहा था | अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 उपरोक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त अनियमितता की पुनरावृति न हो यह सुनिश्चित किया जाए ।

11 **मस्टर रोल्स पर सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के हस्ताक्षर न पाए जाने बारे :-**

निर्माण कार्यों सम्बन्धी भुगतान से पूर्व सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा इन कार्यों का आंकलन (assessment) किया जाता है तथा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाता है । परन्तु व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित मनरेगा से सम्बन्धित मस्टर रोल पर सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे । सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के आकलन के बिना इस भुगतान को सही नहीं माना जा सकता है । अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	राशि (₹)	मस्टर रोल संख्यां	टिप्पणी
मनरेगा	09/15	53	20412/-	1031 तथा 1032	मस्टर रोल पर सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे ।

12 **क्रय सम्बन्धी अनियमिताएं:-**

(i) औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹6.14 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय/भुगतान करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम

पंचायत द्वारा निम्न तालिका स० 1 तथा 2 में क्रमश: ₹500423 स्टोक/स्टोर का क्रय तथा ₹1,14,000/- JCB का भुगतान औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। । जिन कुछ प्रकरणों में अवतरनें (quotations) प्राप्त की गई थी वे न तो diary की गई थी तथा न ही क्रय sub committee [नियम (67(3)] द्वारा सत्यापित की गई थी । साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि यह कोटेशन्स सीलबंद भी नहीं थी जिस कारण कोटेशन्स संग्रहण उपरान्त क्रय करने / कार्य करवाने का उदेश्य ही विफल हो जाता है । जेसीबी से करवाए गए निर्माण कार्यों की सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा माप उपरान्त माप पुस्तिका में की गई प्रविष्टियाँ भी नहीं दर्शाई गई जिसकी अनुपस्तिथि में जेसीबी चार्जिस का किया गया भुगतान उचित व तर्कसंगत था इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी । निम्न प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों में भी इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हो इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है । अतः उपरोक्त नियमों में प्रावधित औपचारिकताएं पूर्ण किये बिना स्टाक/ स्टोर का क्रय तथा JCB हेतु किया गये भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियमों का अनुसरण कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

तालिका स० 1.

रोकड़ बही	माह	पृष्ठ संख्यां	राशि (र०)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण ।
सामान्य (स्वस्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	08/14	76	2650/-	Antivirus आदि
			2220/-	सीमेंट किराया आदि
			18200/-	इंटें
			28350/-	रेत , रोड़ी
			15324/-	वेल्डिंग
		77	1249/-	स्टेशनरी
		78	12925/-	रेत , रोड़ी
			4395/-	बिजली का सामान
			1803/-	यथोपरि
			50000/-	इंटें
	09/15	101	16000/-	रेत, रोड़ी
			19180/-	रेत, रोड़ी
			30000/-	पेंट का सामान
		102	1900/-	मिठाई
	03/17	27	17445/-	पाइप्स
			17650/-	यथोपरि
			25755/-	pvc फिटिंग
		28	36600/-	इंटें
			35155/-	एंगल आदि
			5600/-	सीमेंट किराया

		21210/-	रेत, रोड़ी आदि
	30	26100/-	रेत, रोड़ी
		15000/-	टाइल्स लगाई
		33170/-	विभिन्न सामान
		1030/-	स्टेशनरी
		21662/-	पाइप्स तथा फिटिंग्स
	31	13050/-	रेत, रोड़ी
		5000/-	रेत
		19800/-	रेत, रोड़ी
		2000/-	पत्थर
	कुल योग	**500423/-**	

तालिका स० 2.

रोकड़ बही	माह	पृष्ठ संख्यां	ठेकेदार / फर्म का नाम	राशि (₹)
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	08/14	76	ठाकुर JCB वर्क्स	35000/- (आंशिक भुगतान)
		78	ललित मोहन ठाकुर	29400/-
	09/15	101	ठाकुर ट्रेडर्स	19600/-
	03/17	30	तेज राम ठाकुर	30000/- (आंशिक भुगतान)
			कुल योग	**114000/-**

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त तालिका 2. में दर्शाए गए संविदाकारों / ठेकेदारों को भुगतान करने से पूर्व निम्नलिखित वैधानिक कटौतियां भी नहीं की गई थी जिस कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई थी :-

(i) आयकर 2%

(ii) सेल्स टैक्स 3%

(iii) प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति राशि 10%

(iv) लेबर सेस 1%

अतः उपरोक्त कटोतियों को सम्बंधित बिल से न किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए । भविष्य में नियमानुसार सभी वैधानिक कटौतियां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

13 भुगतानों के एवज में प्राप्त पावतीयां प्रस्तुत न करनाः–

हि० प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों/ व्यय की एवज में पावती प्राप्त की जानी अपेक्षित है। यह प्रतीत होता है कि इन निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से नहीं किया जा रहा है क्योंकि व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि क्रय किये गए मेटीरियल तथा अन्य भुगतानों हेतु सम्बन्धित फर्मों/ कार्यालय से भुगतान की एवज में पावतियां प्रस्तुत नहीं की गई । इसके अलावा कुछ मस्टर रोल्स में सभी तथा कुछ में एक या दो श्रमिकों के हस्ताक्षर भी नहीं पाए गए । इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार हैं।

अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित पावतियां अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए। भविष्य में सभी भुगतानों/व्यय के एवज में पावतियाँ ली जानी सुनिश्चित की जाए ।

रोकड़ बही	**माह**	**पृष्ठ संख्यां**	**राशि (₹)**	**क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण ।**
सामान्य (स्वस्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	08/14	76	2650/-	Antivirus आदि
			18200/-	इंटें
			28350/-	रेत रोड़ी
			15324/-	वेल्डिंग
		77	1249/-	स्टेशनरी
		78	29400/-	JCB सम्बन्धी भुगतान
			12925/-	रेत रोड़ी
			4395/-	बिजली का सामान
			1803/-	यथोपरि
			50000/-	इंटें
	09/15	101	16000/-	रेत रोड़ी
			19180/-	रेत रोड़ी
			30000/-	पेंट का सामान
	03/17	27	17445/-	पाइप्स
			17650/-	यथोपरि
			25755/-	pvc फिटिंग
		28	980/-	स्टेशनरी
			35155/-	एंगल आदि
			21210/-	रेत रोड़ी आदि
		30	26100/-	रेत रोड़ी
			33170/-	वाटर फिटिंग
			990/-	स्टेशनरी
			1030/-	यथोपरि
			21662/-	पाइप्स तथा फिटिंग्स
			30000/-	JCB सम्बन्धी भुगतान
		31	13050/-	रेत रोड़ी
			5000/-	रेत
			19800/-	रेत रोड़ी
			2000/-	पत्थर
			12000/-	मस्टर रोल संख्यां 1770
मनरेगा	09/15	53	20412/-	मस्टर रोल संख्यां 1031 तथा 1032.

14 ग्राम पंचायत द्वारा आबंटित/जारी की गई ₹0.52 लाख के स्वीकृति पत्र तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में पाया गया कि निम्न लाभार्थियों को मकान (IAY)/निजी शोचालय निर्माण हेतु निम्नानुसार ₹52100 जारी की गई थी । परन्तु संबन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवास निर्माण कार्य हेतु जारी स्वीकृति पत्र तथा कार्य की समाप्ति के पश्चात जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न किये जाने के कारण निम्न दर्शाए गए व्यय के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः इस बारे स्पष्टीकरण दिया जाये व अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

रोकड़ बही	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां**	**माह**	**राशि (₹)**
स्वस्रोत तथा अनुदान	100	09/15	35000/-
	31	03/17	12000/-
	31	03/17	5100/-
		कुल योग	**52100/-**

15 ₹890 का अधिक भुगतान करना:-

चयनित माह के व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार ₹890 का गलत गणना के कारण अधिक भुगतान किया गया था । अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹890 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

रोकड़ बही	**माह**	**पृष्ठ संख्यां**	**किया गया भुगतान**	**जितना भुगतान बनता था**	**अधिक भुगतान**	**टिप्पणी / विवरण**
सामान्य	03/17	31	2520/-	1680/-	840/-	चौकीदार वर्दी
		30	33170/-	33120/-	50/-	विभिन्न वस्तुओं के क्रय हेतु
				कुल योग	**890/-**	

16 ₹2500/- का अनियमित भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा माह 04/14 में part tim e कर्मचारी को ₹2500/- (500/- प्रति माह –x5माह) वेतन का भुगतान किया था । परन्तु कर्मचारी को कार्य पर रखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा न तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लीं गई थी तथा न ही नियमानुसार ओपचारिक्ताएं पुरी की थी । इस कारण किया गया भुगतान अनियमित है । अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹2500/- सहित कर्मचारी को किये गए अन्य भुगतान की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

17 स्टोर/स्टोक :-

(i) प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाना :-

हि0प्र0 पंचायती राज {वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस

सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियां न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विभिन्न स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की प्राप्ति तथा जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ स्टोक सामग्री रजिस्टर में नहीं की गई थी । निम्न प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों में भी इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हो इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है । अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के अतर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाए ।

रोकड़ बही	माह	पृष्ठ संख्यां	राशि (र०)	क्रय की गई वस्तु / ली गई सेवा का विवरण ।
सामान्य (स्वस्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	08/14	76	2650/-	Antivirus आदि
			18200/-	इंटें
			28350/-	रेत रोड़ी
			15324/-	वेल्डिंग
		77	60/-	ताला
			1249/-	स्टेशनरी
		78	12925/-	रेत रोड़ी
			4395/-	बिजली का सामान
			1803/-	यथोपरि
			50000/-	इंटें
	09/15	101	16000/-	रेत रोड़ी
			19180/-	रेत रोड़ी
			30000/-	पेंट का सामान
		102	1900/-	मिठाई
	07/17	27	17445/-	पाइप्स
			17650/-	यथोपरि
			25755/-	pvc फिटिंग
		28	980/-	स्टेशनरी
			95/-	लोक
			36600/-	इंटें
			35155/-	एंगल आदि
			5600/-	सीमेंट किराया
			21210/-	रेत रोड़ी आदि
		30	26100/-	रेत रोड़ी
			33170/-	वाटर फिटिंग सम्बन्धी
			990/-	स्टेशनरी
			1030/-	यथोपरि

			21662/-	पाइप्स तथा फिटिंग्स
		31	13050/-	रेत रोड़ी
			5000/-	रेत
			19800/-	रेत रोड़ी
			2000/-	पत्थर
मनरेगा	09/15	52	51840/-	सीमेंट
		कुल योग	**537168/-**	

(iii) स्टोक सामग्री रजिस्टर के रख रखाव बारे :-

स्टोक सामग्री रजिस्टर (प्ररूप-6) में सीमेंट की प्राप्तियों तथा निर्माण कार्यों को जारी करने सम्बन्धी सभी प्रविष्टियों (पृष्ठ संख्यां 15 तथा 16) का सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्तम्भ (10) में सत्यापन नहीं किया गया था जिस कारण यह प्रविष्टियाँ विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती हैं । अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए । भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए ।

18 विविध :-

(i) रसीद बुक के इस्तेमाल से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 अनुसरण नहीं किया जा रहा है । चयनित मासों में आय की पड़ताल दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा काउंट सर्टिफिकेट नही दिया जा रहा था | चयनित मासों में पाया गया कि विभिन्न अनुदानों के अतर्गत प्राप्त कुछ राशियों हेतु रसीदें नहीं काटी गई थी । अंकेक्षण के दौरान रसीद बुक रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण रसीद बुकों की प्रविष्टियों तथा उनके शेषों सम्बन्धी पड़ताल नहीं की जा सकी । अत: उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इनके बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए । भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए ।

(ii) सावधि निवेश:-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशी सावधि जमा में निवेश नही की गई थी जबकि हि०प्र० पंचायती राज 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचयात को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके । यह प्रतीत होता हो कि इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है । अत: यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गये निदेशों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि ग्राम पंचायत को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।

(iii) वस्तुओं के रेट्स जाने बिना भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा क्रय किये गए विभिन्न वस्तुओं से सम्बन्धित बिलों पर विक्रेता द्वारा वस्तुओं के रेट्स/विवरण नहीं भरे गए थे तथा ग्राम पंचायत ने बिना वस्तुओं के रेट्स जाने ही इन बिलों का भुगतान कर दिया था जोकि अनियमित है । इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार है । अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह सुनिश्चित किया जाए ।

रोकड़ बही	**माह**	**पृष्ठ संख्यां**	**राशि**	**विवरण**	**विक्रेता**
सामान्य	03/17	27	17650/-	वाटर फिटिंग का सामान	मैसर्ज गोयल एंड हार्डवेयर, डूमेहर, त० अर्की, जिला सोलन
			17445/-	यथोपरि	यथोपरि

(iv) वास्तविक भुगतान से अधिक राशि की पावतियाँ लेना :-

चयनित माह के व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि विभिन्न दिहाड़ीदारों जिनकी सेवायें लेने के उपरान्त भुगतान किये गये थे, उन से वाउचर की वास्तव में पारित तथा भुगतान की गई राशि से अधिक राशि की प्राप्ति पर हस्ताक्षर लिए गए थे जोकि अनियमित है । इस अनियमितता से सम्बन्धित प्रकरण निम्न प्रकार से है । अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए ।

रोकड बही	**माह**	**पृष्ठ संख्यां**	**मस्टरोल की राशि**	**वास्तव में किया गया भुगतान**	**टिप्पणी**
स्वस्रोत तथा अनुदान	03/17	31	55800/-	2006.25	मस्टरोल से सम्बन्धित राशि का भुगतान मात्र 2006.25/- किया गया था परन्तु प्रत्येक दिहाड़ीदारों से कुल देय राशि [6300/-(दो के) तथा 5400/-(आठ के)] पर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवा लिए गए थे । जबकि भुगतान करते समय जितनी राशि का भुगतान किया गया था प्रत्येक दिहाड़ीदार से केवल उतनी राशि की रसीदें प्राप्त करनी अपेक्षित थी । इसके अतिरित्क इन निर्माण कार्यों का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा किया गया मूल्यांकन (Assessment) भी नहीं दर्शाया गया
		30	30600/-	7270/-	मस्टरोल से सम्बन्धित राशि का भुगतान मात्र 7270/- किया गया था परन्तु प्रत्येक दिहाड़ीदारों से कुल देय राशि [(6600/-(एक के) तथा 6000/-(चार के)] पर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवा लिए गए थे । जबकि भुगतान करते समय जितनी राशि का

भुगतान किया गया था प्रत्येक दिहाड़ीदार से केवल उतनी राशि की रसीदें प्राप्त करनी अपेक्षित थी । इसके अतिरिक्त इन निर्माण कार्यों का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा किया गया मूल्यांकन (Assessment) भी नहीं दर्शाया गया

(v) बिल पारित करने सम्बन्धी निर्देशों का पालन न करना :-

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे अधिकतम भुगतानों को केवल प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया गया था जोकि अनियमित है । कुछ भुगतानों को तो प्रधान द्वारा भी सत्यापन नहीं किया गया था जोकि निम्न तालिका में दर्शये गए कुछ प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है । पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें लिखते हुए संयुक्त रूप हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए साथ में निम्नलिखित प्रकरणों बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 अपेक्षित कार्यवाही भी की जाए ।

रोकड़ बही	**माह**	**पृष्ठ संख्यां**	**राशि**	**विवरण**
सामान्य	09/15	101	4000/-	चौकीदार को किये गए भुगतान का रजिस्टर पर सक्षम प्राहिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था ।
	03/17	31	2006.25	मस्टर रोल संख्यां 4998

(vi) मस्टर रोल्स सम्बन्धी अनियमितताओं बारे :-

(क) मस्टर रोल जारी रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण चयनित मासों में जारी किये गए मस्टर रोल्स की जारी (issue) प्रविष्टियों की पड़ताल नहीं की जा सकी । अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा मस्टर रोल रजिस्टर आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(ख) यह भी पाया गया कि अधिकतम प्रकरणों में निर्माण समिति /village monitoring committee (vmc) द्वारा मस्टर रोल्स पर निर्माण कार्यों के ठीक से होने बारे सत्यापन नहीं किया गया था तथा मस्टर रोल्स पर आवश्यक सम्पूर्ण विवरण भी नहीं भरा गया था । अत: इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए ।

(vii) बजट आकलन (budget estimate) निर्धारित समय अवधि में पारित न करवाने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 37 की में दिए गये निर्देशों का अनुसरण पूर्णतया नही किया जा रहा है । वित्त वर्ष 2014-15 तथा 2016-17 से सम्बन्धित बजट आकलन निर्धारित समय (28 फरवरी से पूर्व) के भीतर पारित नहीं करवाया गया था साथ ही बजट निर्धारित फ़ार्म "11" पर नहीं बनाए गए थे । अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बजट आकलन निर्देशानुसार विहित फ़ार्म "11" पर निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार एवं पारित करवाए जाने सुनिश्चित किये जाए ।

(viii) विहित रजिस्टरों के रख रखाव बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिल्लेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य रजिस्टर, अनुदान रजिस्टर, अस्थाई अग्रिम रजिस्टर, माप पुस्तिका रजिस्टर, रसीद बुक स्टोक रजिस्टर, स्टेशनरी रजिस्टर, मस्टर रोल जारी रजिस्टर आदि कई बार मांगने के उपरान्त भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत होता है कि इनका रख रखाव ही नही किया जा रहा है । अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त रजिस्टर्स आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए| भविष्य में उपरोक्त नियमानुसार रजिस्टर्स का रख रखाव तथा नियमित रूप से उनका update किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

(ix) ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान बारे :-

ग्राम पंचायत के मानदेय सम्बन्धी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 62 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, मेम्बर्स, चैकिदार, आदि को मासिक मानदेय का भुगतान किया जा रहा है परन्तु पदाधिकारियों/कर्मचारियों को देये मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाया गया| अतः मानदेय की सही राशि की पुष्टि हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति आगामी अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(x) अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण भुगतान/जमा/समायोजन सम्बन्धी पड़ताल नहीं की जा सकी । अत: आगामी अंकेक्षण पर निम्लिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

रोकड़ बही	माह	पृष्ठ संख्यां	राशि	विवरण
सामान्य	08/14	79	9950/- ,3500/- तथा 43/-	भुगतान सम्बन्धी वाउचर नहीं दर्शाया गया ।
	03/17	27	28860/-	यथोपरि
मनरेगा	09/15	52	11250/- 24000/- 11250/- 24000/- 4500/- 9600/-	रेत, रोड़ी तथा सीमेंट की वसूली तथा समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख नहीं दिखाया गया ।
		53	11250/-	

		24000/- 21600/- 21600/-	
	53	14742/-	भुगतान सम्बन्धी वाउचर नहीं दर्शाया गया ।
09/16	13	20000/- तथा 32500/-	सीमेंट स्टोक से 80 तथा 130 बेग्स की जारी किये जाने की प्रविष्टि ।
09/15	101	6800/- (3000+400+ 2000+1400)	सम्बन्धी अभिलेख जिसके आधार पर TA को देय राशि 2% (₹6800) की गणना की गई थी नहीं दिखाया गया ।

19 **लघु आपति विवरणिका :-** अलग से जारी नहीं की गई ।

20 **निष्कर्ष:-** खातों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/—
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(iv) 22/2017—खण्ड—1—7161—7164 दिनाँक 08.12. 2017 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुनिहार तहसील अर्की, जिला सोलन, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत डूमैहर विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881